भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3051

दिनांक 09 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए

कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चे

3051. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :-

(क) कोविड-19 महामारी के दौरान महाराष्ट्र के उस्मानाबाद (धाराशिव) जिले में कितने बच्चे अनाथ हुए हैं;

(ख) ऐसे अनासथ बच्चों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा ऐसी महिलाओं को रोजगार और आजीविका प्रदान करने के लिए कोई विशेष पहल की गई है जो कोविड-19 महामारी के कारण विधवा हो गई थीं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ऐसी रिपोर्ट है कि कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चे बाल श्रमिक बन गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) इन बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए की गई विशेष व्यवस्थाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ग): माननीय प्रधानमंत्री ने 29.05.2021 को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की शुरुआत की जिसका उद्देश्य उन बच्चों की सहायता करना है जिन्होंने 11 मार्च, 2020 से 5 मई, 2023 तक की अवधि के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता-पिता या

कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता या जीवित माता-पिता दोनों को खो दिया है। इस योजना का लक्ष्य बच्चों की निरंतर देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनका कल्याण सुनिश्चित करना, शिक्षा के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाना और 23 वर्ष की आयु होने पर उन्हें वित्तीय सहायता के साथ आत्मनिर्भर बनाना है। यह योजना ऑनलाइन पोर्टल www.pmcaresforchildren.in के माध्यम से सुलभ है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में अब तक 14 पात्र बच्चों को इस योजना के तहत लाभ दिए गए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने यह सुनिश्चित किया कि वन स्टॉप सेंटर, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, शक्ति सदन, महिला हेल्पलाइन आदि जैसी उसकी योजनाएं/कार्यक्रम कोविड-19 महामारी के दौरान एकल महिला परिवारों सहित महिलाओं और बच्चों की सहायता के लिए उपलब्ध रहें, ताकि पूरक पोषण, आश्रय, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा उपचार सहित परामर्श, कानूनी सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं/जरूरतों के माध्यम से राहत और पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जा सकें। कोविड के दौरान, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं द्वारा प्रत्येक पखवाड़े में 6 माह से 6 वर्ष तक के सभी बच्चों; गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्लू और एलएम); और स्कूल न जाने वाली किशोरियों को टेक होम राशन प्रदान किया गया और यह सुनिश्चित किया गया की बच्चे और गर्भवती महिलायें एवं स्तनपान कराने वाली माताएं (पीडब्लू और एलएम) कुपोषण से पीड़ित न हों

(घ) और (ड़): राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) को किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 और बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन की निगरानी करने का अधिकार है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने बाल और किशोर श्रमिकों को लक्षित करते हुए एक राष्ट्रव्यापी बचाव अभियान चलाया। इस ऑपरेशन में कारखानों, ढाबों, उद्योगों, होटलों और निर्माण स्थलों सहित विभिन्न श्रम-प्रवण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस अभियान ने किशोर न्याय अधिनियम 2015 और बाल और किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 का अनुपालन सुनिश्चित किया।

इसके अतिरिक्त, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बाल श्रम निवारण के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाले विधायी उपाय और

सामान्य सामाजिक-आर्थिक विकास शामिल हैं। सांविधिक और विधायी उपायों, पुनर्वास कार्यनीति का ब्यौरा निम्नानुसार है

(i) बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) (सीएएलपीआर) अधिनियम, 1986 में अन्य बातों के साथ-साथ किसी व्यवसाय या प्रक्रिया में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों और किसी जोखिमकारी व्यवसाय या प्रक्रिया में 14 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के किशोरों के काम या नियोजन पूर्ण रूप से निषेध को कवर किया है। इसमें अधिनियम के उल्लंघन हेतु नियोक्ताओं के लिए कड़ी सजा का भी प्रावधान है और अपराध को संज्ञेय बनाया गया है।

(ii) बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) नियमावली, 1988 में अन्य बातों के साथ-साथ जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तर पर जिला नोडल अधिकारी (डीएनओ) और कार्य बल का प्रावधान है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिनियम के प्रावधान उचित रूप से लागू किए जा रहे हैं।

(iii) श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सीएएलपीआर अधिनियम के प्रभावी प्रवर्तन के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल पेंसिल (प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ नो चाइल्ड लेबर) विकसित किया है। पोर्टल में बाल श्रम के संबंध में शिकायत दर्ज करने के लिए एक शिकायत कॉर्नर भी है।

****